निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 155/2016 दावा
दायरा दिनांक :— 28.09.2011
निर्णय दिनांक :— 07.07.2017

उनवान

नन्दलाल पुत्र चौथमल जाति माली निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. हेमेन्द्र पुत्र गोपाल जाति कोली निवासी वार्ड नंबर 3 सेन्ट्रल बैक की गली छीपाबड़ौद
2. भवरलाल पुत्र चौथमल
3. घनश्याम पुत्र चौथमल
4. बृजमोहन पुत्र चौथमल
5. धनराज पुत्र चौथमल
6. मोहनलाल पुत्र चौथमल
7. चन्द्रकान्ता पुत्र चौथमल जाति माली निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 07.07.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ललित कुमार शर्मा — वादी
2. श्री अशोक कुमार पारीक, श्री बृजराज सिंह लोधा — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 561 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 1.13 बीघा किता 2 रकबा 3.13 बीघा मौजा छीपाबड़ौद मे स्थित है, जो वादी व तरतीबा प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 के सामलाती खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी कृषि आराजीयात है, तथा उक्त आराजीयात का कृषि कार्य के अलावा अन्य किसी प्रकार का उपयोग करने मे कानूनी बाधा है। प्रतिवादी क्रम 1 के नियत मे बध्यन्ति आ रही है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 उक्त वर्णित आराजी मे से कुछ आराजी पर जबरन कब्जा करके नीवें खोदकर निर्माण कराने के लि अमादा हो रहा है, जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को कोई कानूनी अधिकार नही है। दिनांक 26.09.201 को प्रतिवादी क्रम 1 अपने साथ मजदूर लेकर आया जिनके पास गेती फावड़े थे, को लेकर आया त आकर वादी की उक्त वर्णित आराजी की सुरक्षा हेतु किये गये पत्थरो के कोट को गिरा दिया, त जबरन नीवे खोदने का प्रयास किया, तो वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से कहा कि यह भूमि वादी की इस पर आप न तो कब्जा कर सकते हो, और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर सकते हो। प्रतिवादी क्रम 1 वादी से लड़ाई झगड़ा करने के लिये अमादा हो गया, तथा वादी को धमकी दी वे एस.सी. का व्यक्ति है, तुझे झूठे केस मे फसा दूंगा, तथा उस समय तो वह वहां से चला ग लेकिन आयन्दा जबरन कब्जा करके पक्का मकान बनाने की धमकी दी। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अप

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

इरादे के मुताबिक उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी को जबरन बलपूर्वक बेदखल कर दिया तथा अपना कब्जा जमा लिया और उस पर निर्माण कर लिया। तो उक्त आराजीयात का स्वरूप परिवर्तित हो जायेगा तथा उसका उपयोग कृषि कार्य मे नही हो सकेगा। इसलिए वादी के लिए प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हासिल करना नितान्त आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 26.09. 2016 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजी की सुरक्षा हेतु किये गये पत्थरों के कोट को हटा कर उक्त आराजी पर जबरन नीवे खोदकर निर्माण करने का असफल प्रयास करने पर वादी द्वारा मना करने पर वादी को झूठे केस मे फसाने की धमकी देने पर तथा उक्त आराजी पर आयन्दा जबरन बलपूर्वक निर्माण करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री अशोक पारीक एडवोकेट एवं प्रतिवादी क्रम 7 की ओर से श्री बृजराज सिह लोधा एडवोकेट का वकालत नामा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम छीपाबड़ौद सम्वत् 2059–72 खाता संख्या 137 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम छीपाबड़ौद सम्वत् 2059–72 खाता संख्या 485 नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2059–72, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2059–72 पेश की गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद पर रखा गया। पक्षकारान् को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा फोलोअप केम्प छीपाबड़ौद पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प छीपाबड़ौद पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 अभिभाषक स्वयं उपस्थित है। अभिभाषक उभय पक्षकरान् को सुना गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन किया जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद समाप्त हो सके। अभिभाषक उभय पक्षकारान् वादी प्रतिवादीगण की भूमि की पैमाईश कराने पर सहमति व्यक्त की गई। वादी का वाद आपसी सहमति आधार पर तहसीलदार छीपाबड़ौद को पैमाईश करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपव केम्प छीपाबड़ौद पर आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराज ग्राम छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 561 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 565 रकबा 1.13 बीघा एवं प्र क्रम 1 की भूमि की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। वाद प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिल

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 155/2016	धारा अन्तर्गत 188, RTA	निर्णय दिनांक : 07.07.0.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:– अशोक कुमार पारीक	

वाद शीर्षक

उनवान

नन्दलाल पुत्र चौथमल जाति माली निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. हेमेन्द्र पुत्र गोपाल जाति कोली निवासी वार्ड नंबर 3 सेन्ट्रल बैक की गली छीपाबड़ौद
2. भवरलाल पुत्र चौथमल
3. घनश्याम पुत्र चौथमल
4. बृजमोहन पुत्र चौथमल
5. धनराज पुत्र चौथमल
6. मोहनलाल पुत्र चौथमल
7. चन्द्रकान्ता पुत्र चौथमल जाति माली निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद पर आपसी स के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 561 रक बीघा, खसरा नंबर 565 रकबा 1.13 बीघा एवं प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि की पैमाईश करने के तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। वाद पैमाईश प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि व खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक....7.7.17............को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		

Scanned by CamScanner